Success Story of National Lok Adalat Held on 11.02.2017

1. **Narendra & Ors. V/s Ram Chandra & Ors, SB.C.W.P. No. 3180/2014** –

यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में लम्बित था और राष्ट्रीय लोक अदालत में अध्यक्ष, **माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् गोपाल कृष्ण व्यास**, सदस्य प्रदीप शाह और एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. उमा बिस्सा के समक्ष पेश हुआ।

इस प्रकरण में 84 वर्षीय बुजुर्ग दंपति अप्रार्थी श्री रामचन्द्र और श्रीमती माडी बाई द्वारा स्वयं के बनाये मकान में उनके दो पुत्र भी साथ रहते थे, लेकिन वे बजाय अपने मां बाप की सेवा करने के झगड़ा करते और आर्थिक भरण–पोषण भी नहीं करते और उनकी पत्नियां भी बुजुर्ग दंपति से झगड़ा करती। इस पर बुजुर्ग दंपति ने वर्ष 2013 में पहली बार एसडीएम कोर्ट में दोनो लड़को के खिलाफ भरण–पोषण के लिए आवेदन किया था, लेकिन लड़को ने भरण–पोषण नहीं दिया उल्टा लड़ने लगे। तब कोर्ट ने वर्ष 2014 में घर खाली करने के आदेश जारी कर दिए। इस पर दोनो लड़को ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे ले लिया लेकिन भरण–पोषण आदि का मुकदमा जारी रहा ।

इस प्रकरण में प्रार्थी नरेन्द्र एवं पुखराज को माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमान् गोपाल कृष्ण व्यास ने समझाते हुए कहा **''अरे मां–बाप की सेवा करोगे तो सुख पाओगे। इनके लिए दस हजार खर्च करोगे तो तुमको पचास हजार का लाभ मिलेगा, जाओ आज अपने माता–पिता को बादाम का सीरा बना कर खिलाना।''** बाद में माननीय न्यायाधिपति ने अप्रार्थी श्री रामचन्द्र और श्रीमती माडी बाई जो कि प्रार्थी के माता–पिता है की ओर मुखातिब होते हुए कहा **''मां सा अबे ओ छोरो सेवा नहीं करे ने रोळा करे तो म्हने आयने कईजो''**।

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमान् गोपाल कृष्ण व्यास की बेंच ने सहमति से पंचाट पारित किया कि प्रार्थी (नरेन्द्र एवं पुखराज) द्वारा अप्रार्थी (श्री रामचन्द्र और श्रीमती माडी बाई) को आर्थिक भरण–पोषण के लिए 8,000 रुपये (4,000 रुपये प्रत्येक पुत्र द्वारा) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त अप्रार्थी मकान के किराये को अलग से प्राप्त करने के हकदार है और इस तरह बुजुर्ग मां–बाप और बेटो के साथ चला आ रहा चार साल पुराना मुकदमा निपट गया।

Success Story of National Lok Adalat Held on 11.02.2017

2. <u>जवरीलाल व अन्य बनाम ज्ञानचंद व अन्य वाद संख्या 69/13</u>–

यह प्रकरण जोधपुर शहर में स्थित वरिष्ठ अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 05 में लगभग 05 वर्षों से विचाराधीन था। प्रताप नगर क्षेत्र में संचालित एक श्मशान पर अंतिम संस्कार करने के अधिकार को लेकर पक्षकारों में विवाद था। यह श्मशान चर्मकार जाति की पट्‌टाशुदा न होकर सिर्फ कब्जाशुदा जमीन थी। चर्मकार जाति का समय अनुसार विभाजन हुआ। एक भाग पूर्बिया जैसवाल कहलाया और दूसरा भाग यादव व जाटव समाज कहलाया।

पूर्बिया जैसवाल समाज के लोग भी उपरोक्त श्मशान का उपयोग करते थे तथा बाद में यादव व जाटव समाज के लोगों ने अपनी एक अलग संस्था बना ली व उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पूर्बिया जैसवाल समाज के लोगों को शमशान के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया और न ही दाह संस्कार करने की अनुमति दी। जिससे विवाद उत्पन्न हो गया तथा व्यथित होकर पूर्बिया जैसवाल समाज के लोगों ने न्यायालय में सिविल वाद पेश किया।

उक्त प्रकरण को दिनांक 11.2.2017 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया तथा मामला शुरूआत में सुलझता नहीं दिखा जिस पर बैंच के पीठासीन अधिकारी रामदेव सांदू ने उक्त प्रकरण को काउंसलर को रैफर किया। जिस पर काउंसलर्स द्वारा पक्षकारों के बीच काफी देर तक समझाइश करवाई गई। काफी उतार–चढाव के बाद उक्त प्रकरण को जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर श्री अतुल कुमार चटर्जी के संज्ञान में लाया गया।

जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने उक्त प्रकरण को मय पक्षकारान व अधिवक्ताओं को समझाया कि श्मशान की जायदाद किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की मालिकाना हक की जायदाद नहीं होती है, बल्कि वह आमजन के उपयोग व उपभोग के लिए होती है और उसके लिए न्यायालय में लम्बे समय तक विवाद करना व उक्त प्रकरण को लटकाए रखना कतई उचित नहीं है। यह भी समझाया कि मृत्यु होने के बाद में किसी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना या करने देना एक धार्मिक काम है जिससे पुण्य ही मिलता है तथा पुण्य के काम में किसी प्रकार की

रूकावट उत्पन्न करना उचित नहीं है ना ही आज के सभ्य समाज में यह कार्य किसी को शोभा देता है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अतुल कुमार चटर्जी की समझाइश पर दोनों समाज के लोगों को उनकी बात समझ में आई तथा उन्होंने आपस में भी बातचीत शुरू की। जिस पर प्रतिवादीगण का मुख्य ऐतराज यह रहा कि वादीगण के समाज के लोगों का देहांत होने पर वे इस शमशान में मृतक का दाह संस्कार (जलाना) तो कर सकते हैं परंतु उसको दफना नहीं सकते। जिस पर जिला न्यायाधीश महोदय ने वादीगण से बातचीत की व समझाया। उनकी इस बात पर वादीगण ने सहमति जाहिर करते हुए राजीनामा की भावना से मामला समाप्त करने पर सहमति जताई।

इस प्रकार विवाद का निष्कर्ष यह रहा कि श्मशान के मुख्यद्वार की चाबी प्रतिवादीगण के पास ही रहेगी एवं वादीगण समाज के किसी भी व्यक्ति का देहांत होने पर प्रतिवादीगण वादीगण को चाबी सुपुर्द करेंगे व दाह संस्कार होने के बाद चाबी पुनः प्रतिवादीगण को सुपुर्द कर दी जाएगी। जिस पर सभी पक्षकारान ने खुशी जाहिर की तथा उक्त समझाइश का स्वागत किया व एक समाजिक विवाद का सदैव के लिए अंत हो गया।

3. <u>ललिता बनाम चौथमल, विविध दाण्डिक प्रकरण 3/14, 42/15 एवं 43/15</u>–

सवाईमाधोपुर जिले के पारिवारिक न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण पति–पत्नी के बीच करीब 20 वर्ष से लम्बित था इस प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया और समझाइश पर दोनों पति–पत्नी ने अपने युवा पुत्रों की उपस्थिति में 20 वर्ष पुराने विवाद को भुलाकर साथ रहने की सहमति बनाई और दोनों पक्षकारों को माला पहनाकर घर भेजा गया।

****